हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

रामसिंह बनाम रामप्रताप

02/142

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट

15.12.2021 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वो विवादित आराजी खाता संख्या 37 खसरा हाल अराजी खसरा नम्बर 23/0.59 है0 वाके ग्राम मूनपूर तहसील राजगढ जिला अलवर की पूर्वी डोल को मिसमार कर जबरम नवीन रास्ता कायम ना करें। ना ही कोई नवीन निर्माण कार्य करें, ना ही उक्त आराजी के कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग में प्रार्थी के साथ व्यवधान उत्पन्न करें, एवं मौके की स्थिति यथावत् बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश किया।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुऐ अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 15.02.2022 तक पाबन्द किया जाता है कि अप्रर्थीगण प्रार्थी की खातेदारी एवं निवर्तमान कब्जेशुदा आराजी पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये मौका–स्थिति में परिवर्तन नही करने बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 15.02.2022 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)

15/2/22 आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में पिछड़ जाने के कारण तलब होकर पेश हुई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/3/22 को पेश हो।

S.D.O. Rajgarh

21-3-22 अवकाश के कारण आज पेश।
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 28-4-22 को पेश हो।

रीडर

28/4/22
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 16/6/22 को पेश हो।

रीडर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	05/07/25 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 25/4/25 को पेश हो। स्थानान्तरण। रीडर 01/8/25 सुनवाई तारीख पेश) पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 23/9/25 को पेश हो। रीडर 23/9/25 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 28/10/25 को पेश हो। रीडर 28/10/25 पत्रावली पेश। मूल वाद अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ सलग्न हो।